"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 391] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-13-23/2012/आ.प्र./1-3.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 824/साप्रवि/आ.प्र./एक, दिनांक 14-2-2001, क्रमांक एफ 7-1/96/आ.प्र./एक, दिनांक 27-02-2001 सहपठित परिपत्र क्रमांक एफ 13-3/2007/1-3 दिनांक 30-03-2013 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को जारी किए गए जाति प्रमाण-पत्र/आय प्रमाण-पत्र की जांच करने के लिए गठित की गई छानबीन/उच्च स्तरीय छानबीन समितियों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु निम्नानुसार "उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति" गठित करता है :—

क्र.	समिति में नामांकित अधिकारीगण	अध्यक्ष/सदस्य
(1)	(2)	(3)
1.	प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग.	अध्यक्ष

(1)	(2)	(3)
2.	आयुक्त/संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, छ.ग., रायपुर.	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त/संचालक, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग., रायपुर	सदस्य सचिव
4.	आयुक्त/संचालक, आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थ संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक/अनुसंधान अधिकारी/सहायक अनुसंधान अधिकारी में से, नामांकित दो अधिकारी.	सदस्य

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-13-23/2012/आ.प्र./1-3.—इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 01 सितम्बर, 2012 सहपठित समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12-06-2013 द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समितियों का गठन किया गया था, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त परिपत्रों को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 6 की उपधारा (1) के एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 14 के उपनियम (1) के प्रावधान अनुसार अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति गठित करता है :—

क्र. (1)	समिति में नामांकित अधिकारीगण (2)	अध्यक्ष/सदस्य (3)
(1)	कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला मुख्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर अथवा डिप्टी कलेक्टर.	अध्यक्ष
(2)	कलेक्टर द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला मुख्यालय में पदस्थ एक-एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी.	सदस्य
(3)	जातियों के संबंध में जानकारी रखने वाला 01 विषय विशेषज्ञ अधिकारी (इस पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी को भी नामांकित किया जा सकता है)	सदस्य
(4)	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	सदस्य सचिव

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-13-23/2012/आ.प्र./1-3.—इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1/सा.प्र.वि/आ.प्र. दिनांक 1-8-1996 की निर्देश कण्डिका 1 एवं 2 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा परिपत्र क्रमांक एफ-7-2/96/आ.प्र./[illegible] दिनांक 12-3-1997 की

निर्देश कण्डिका-1 एवं 2 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण-पत्र) जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों को पदाभिहित किया गया था और विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3 दिनांक 19-7-2012 की कण्डिका 4 (अ) तथा 4 (ब) के द्वारा उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु पदाभिहित सक्षम प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील करने हेतु अपीलीय प्राधिकारियों को पदाभिहित किया गया था.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 1-8-1996 की निर्देश कण्डिका-1 एवं 2, विभागीय परिपत्र दिनांक 12-3-1997 की निर्देश कण्डिका-1 एवं 2 तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 19-7-2012 की कण्डिका 4 (अ) तथा 4 (ब) को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (ख) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्राधिकारियों को, अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण-पत्र) जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी तथा धारा 2 के खण्ड (क) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्राधिकारियों को, उक्त सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी घोषित करता है :—

क्र.	प्रमाण-पत्र का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	राज्य शासन के स्रोतों से उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं के लिए यथा राज्य छात्रवृत्ति, प्री-मैट्रिक शैक्षणिक संस्थाओं एवं आश्रम तथा छात्रावासों में प्रवेश हेतु अस्थाई प्रमाण-पत्र.	(1) सरपंच, ग्राम पंचायत (2) वार्ड पार्षद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिक निगम	—
(2)	क्रमांक (1) में वर्णित प्रयोजन से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए अस्थाई प्रमाण-पत्र जो 6 माह के लिए वैध होगा.	(1) तहसीलदार (2) अतिरिक्त तहसीलदार (3) नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(3)	स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र	(1) डिप्टी कलेक्टर (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (3) अपर कलेक्टर (4) कलेक्टर	अपर कलेक्टर/ जिला कलेक्टर अपर आयुक्त/ संभागीय आयुक्त

3. उप जिलाध्यक्ष के प्राधिकृत अधिकारी होने की स्थिति में जिलाध्यक्ष के द्वारा उप जिलाध्यक्षों के क्षेत्राधिकारों को विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.